यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर) के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2018 से 29.09.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी एवं श्री सतेन्द्र कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.06.2015 से 25.06.2015 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील किच्छा का समस्त क्षेत्र-ट्रेडिंग/निर्माण**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	900.51
2016-17	1327.95
2017-18	852.44

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**गैर स्थापना**			
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
	-				**-**	
2015-16	**-**		**50,16,57,470**	**50,16,57,470**	**-**	
2016-17	**-**		**31,79,54,129**	**31,79,54,129**	**-**	
2017-18	**-**		**1,61,60,865**	**1,61,60,865**	**-**	

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ....ए... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2016, 10/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः - 02/2016, 08/2016, 07/2017, 03/2017 (अंकगणितीय जांच) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2"ब"

प्रस्तर –01 अनियमित डिस्काउन्ट का लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप अनारोपित कर ₹10.76 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 2(42) के प्रावधानों के अनुसार "माल के विक्रेता द्वारा नकद कटौती,कमीशन,व्यापार कटौती के रुप में क्रेता को माल के विक्रय के समय अनुमन्य की गई कोई धनराशि माल के विक्रय कीमत का भाग नही होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्यकर विभाग, किच्छा के माह 04/2015 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री जे0के0 सीमेंट लि0 बरेली रोड किच्छा टिन नं0–05004456981 विभाग में सीमेंन्ट पुटटी, आदि की खरीद बिक्री करने वाले कारोबारी के रुप में पंजीकृत है। कर निर्धारण वर्ष 2013–14 की पत्रावली के अनुसार संगत वर्ष में कुल बिक्री ₹12,62,69,383.00 की प्रदर्शित की गयी व्यौहारी द्वारा उक्त बिक्री के विरुध अपने ग्राहकों को बिक्री के बाद ₹79,68,783.00 का संगतवर्ष में डिस्काउन्ट प्रदान करते हुये शुद्व बिक्री केवल ₹12,62,69,383.00 की स्वीकार की गयी थी, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्ववारा 13.5 प्रतिशत कर दर से ₹1,70,46,366.00 कर आरोपित किया गया था।

चूॅकि उल्लिखित व्यौहारी द्वारा क्रेता व्यौहारियों को उक्त डिस्काउन्ट माल के विक्रय के समय अनुमन्य नही किया गया था अत;इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में ₹.79,68,783.00 के डिस्काउन्ट को विक्रय विक्रय कीमत में **शामिल** नही किये जाने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से ₹10,75,786.00 (7968783X13.5%) का कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अत; अनारोपित कर ₹10,75,786.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में **लाया जाता** है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-2 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4.23 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अधिक हो का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), राज्य कर किच्छा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि

(क) व्यापारी सर्वश्री राजसन पोलीपैक इण्डस्ट्रीज, किच्छा, टिन नं0 05004527791 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन **संलग्नक-'क'** में उल्लिखित देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 36,257 अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

(ख) अन्य व्यापारी सर्वश्री कामधेनु इस्पात लिमिटेड, किच्छा, टिन 05007623352 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 मे कुल बिक्री 14,01,65,538 घोषित किया गया। व्यापारी द्वारा स्वीकृति कर विलंब से जमा किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिलंब से जमा किए गए कर माह जून-2012- ₹ 6,03,872, माह जून -2012- ₹6,95,738 एवं मई-2012-₹7,49,225 पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 58(1)(vii)(ख) के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 6/04/2015 को आदेशित किया गया है। लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी है। उपरोक्त के अलावा अन्य माह मे भी कर विलंब से जमा किया गया है। जिसका विवरण **संलग्नक-'क'** उल्लिखित है। अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 3,86,337 अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

उक्त के अलावा कर निर्धारण आदेश में प्रारम्भिक स्टाक एवं अन्तिम स्टाक दोनों धनराशि ` 1,16,19,338 ही अंकित है । जबकि आडिट रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम स्टाक ` 1,54,70,549 है । अतः कर निर्धारण आदेश एवं आडिट रिपोर्ट में अन्तिम स्टाक की भिन्नता परिलक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4,22,594 (` 36,257 + ` 3,86,337) का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

संलग्नक – "***क***"

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`)
1.	सर्वश्री राजसन पोलीपैक इण्डस्ट्रीज, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) (टिन नं0 05004527791)	2013-14	2013-14 Q1 (Apr.-June)	1,088 (CST) 57,220 (VAT) 58,308 (Total)	25.07.2013	30.07.2013	5 दिन	5,831
			04/2013	78,111	25.05.2013	31.05.2013	6 दिन	7,811
			05/2013	2,958 (CST) 20,788 (VAT) 23,746 (Total)	25.06.2013	01.07.2013	6 दिन	2,375
			07/2013	48,304	25.08.2013	30.08.2013	5 दिन	4,830
			08/2013	50,367	25.09.2013	27.09.2013	2 दिन	5,037
			2013-14 Q2 (Jul.-Sep.)	9,425 (CST) 37,540 (VAT) 46,965 (Total)	25.10.2013	28.10.2013	3 दिन	4,697
			10/2013	18,816	25.11.2013	29.11.2013	4 दिन	1,882
			11/2013	918 (CST) 22,921 (VAT) 23,839 (Total)	25.12.2013	30.12.2013	5 दिन	2,384
			12/2013	14,100	25.01.2014	30.01.2014	5 दिन	1,410

							Sub Total	**36,257**
2.	सर्वश्री कामधेनु इस्पात लिमिटेड, किच्छा, टिन 05007623352	कर निर्धारण वर्ष 2012-13	अप्रैल -2012	700529	25.05.2012	30.05.2012	5 दिन	70,053
			अप्रेल-2012	453544	25.05.2012	29.05.2012	4 दिन	45,354
			मई-2012	749225	25.06.2012	02.07.2012	7 दिन	74,922
			मई-2012	660472	25.06.2012	30.06.2012	5 दिन	66,047
			जून-2012	695738	25.07.2012	03.08.2012	9 दिन	69,574
			जून-2012	603872	25.07.2012	03.08.2012	9 दिन	60,387
							Sub Total	**3,86,337**
							Grand Total	**4,23,394**

भाग -2(ब)

प्रस्तर –03 बिक्री छुपाये जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4.39 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 58(1)(xiv)के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्णित हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), राज्य कर किच्छा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मदान सीमेंट स्टोर किच्छा, टिन 050044862750 का कर निर्धारण वर्ष 2012-13 मे व्यापारिक स्थिति निम्नानुसार है।

वस्तु का नाम	प्रा0 अवशेष	खरीद	कुल	बिक्री	अंतिम अवशेष
प्रांतीय एवं आयातित सीमेंट शीट	10,89,142	98,15,478	1,09,04,620	66,79,164	20,58,584

उपरोक्त विवरण के अनुसार यदि लाभ शामिल न भी किया जाए तो भी बिक्री ₹ 88,46,036 (₹ 1,09,04,620 - ₹20,58,584) की होनी चाहिए। जबकि व्यापारी द्वारा बिक्री ₹ 66,79,164 घोषित की गयी है इस प्रकार अंतरीय धनराशि ₹ 21,66,872 पर कर अनारोपित रह गया। कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश मे उक्त कम बिक्री के संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। अतः उक्त को बिक्री मानते हुये कर ₹ 2,92,527 (₹21,66,872 x 13.5 %) व्यापारी पर आरोपणीय है एवं इस पर कुल कर का 50 प्रतिशत ₹1,46,264 अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 04 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का अनियमित लाभ ` 0.17 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.51 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अनुसार, इनपुट टैक्स का लाभ, जो कर अवधि के दौरान, कर की वह धनराशि होगी, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तों के अधीन रहते क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता को भुगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये ।

अधिनियम की धारा-6(5)(घ) के अनुसार, आई0टी0सी0 ऐसे माल के क्रय पर अदा किये गये कर अथवा अधिनियम के अधीन लागू कर की दर, जो भी कम हो देय होगा ।

अधिनियम की अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 9 पर "पैकिंग मैटेरियल" पर 4.5% की दर से करदेयता है ।

पुनः इस अधिनियम की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा किया जाता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पांच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सैफकोन लाइफ साइन्स, लालपुर, किच्छा (ऊधमसिंह नगर), टिन नं0 05008925383 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 द्वारा **"संलग्न विवरण"** में उल्लिखित क्रय पंजिका के अनुसार ` 1,89,220 की पैकिंग मैटेरियल की खरीद पर 13.5% की दर से कुल ` 25,546 (वास्तविक रूप से) का अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का लाभ लिया गया है । जबकि "पैकिंग मैटेरियल" उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 9 पर वर्गीकृत है तथा उस पर 4.5% की दर से करदेयता है ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 6(5)(घ) के अनुसार, आई0टी0सी0 ऐसे माल के क्रय पर अदा किये गये कर अथवा अधिनियम के अधीन लागू कर की दर, जो भी कम हो देय होगा ।

इस प्रकार, व्यापारी द्वारा अन्तरीय दर 9% की दर से ` 17,030 (अर्थात् ` 1,89,220 का 9%) का आई0टी0सी0 का अनियमित दावा किया गया है । जिसे विलोमित (Reverse) किया जाना अपेक्षित है ।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, यदि कोई व्यौहारी मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का दावा करता है, तो ` 5,000 अथवा मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में ` 51,090 (` 17,030 x 3) भी देय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न विवरण"

M/s Safecon Lifesciences,

Village- Lalpur, Kichha (U.S.Nagar)

(TIN 05008925383)

प्रान्तीय क्रय पंजिका के अनुसार

Party Name	Station	Tin No.	Date	Inv. No.	Item Name	U.K. @13.5% purchase	ITC claimed @13.5%
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	05/04/2011	289	Packing Material	28,800	3,888
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	11/07/2011	79	Packing Material	18,000	2,430
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	16/07/2011	84	Packing Material	18,000	2,430
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	16/09/2011	136	Packing Material	11,400	1,539
Perfect Packaging Pvt. Ltd.	Nainital	05006335095	20/09/2011	118	Packing Material	1,055	143
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	25/09/2011	143	Packing Material	26,600	3,591
Perfect Packaging Pvt. Ltd.	Nainital	05006335095	10/10/2011	132	Packing Material	10,665	1,440
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	04/01/2012	240	Packing Material	15,200	2,052
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	27/01/2012	257	Packing Material	22,800	3,078
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	09/03/2012	282	Packing Material	17,700	2,390
Hariom Industries	Haridwar	05001808202	30/03/2012	292	Packing Material	19,000	2,565
					TOTAL	**1,89,220**	**25,546**

भाग–2 (ब)

प्रस्तर– 5 अनारोपित कर/अधिक वापसी ₹ 0.26 लाख।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14(120)/ XXVII (8)06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें **उक्तानुसार** आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त, **(कर निर्धारण)**, राज्यकर विभाग, किच्छा के माह 04/2015 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान निम्नलिखित **व्यौहारियों** को अधिक वापसी किया जाना पाया गया;–

(1) सर्वश्री फिरासत खान टिन नं0–05008680652

करनिर्धारण वर्ष 2013–14 के वाद को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7(2) के **अन्तर्गत** कुल भुगतान ₹ 41,68,718.00 पर दो प्रतिशत की दर से ₹ 88374.00 कर निर्धारित किया गया। तथा ₹18822.00 की वापसी की गयी। पत्रावली की जॉच में पाया गया कि प्रारुप–8 uk-vat/2007 संख्या 037520 में उल्लिखित भुगतान संविदा वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित है। अत; इस पर नियमानुसार समाधान की दर 4 प्रतिशत लगाई जानी थी, तदनुसार वर्ष 2012–13 की संविदा के भुगतान ₹298712.00 पर ₹11948.00(298712X4%) समाधान राशि निर्धारित की जानी थी शेष ₹3870006.00(4168718-298712) पर दो प्रतिशत की दर से ₹.77400.00(3870006X2%) अर्थात कुल समाधान की राशि ₹89348(11948+77400) होनी थी। इस प्रकार ₹5974. 00(89348–83374) कम कर आरोपित किया गया अर्थात ₹5974.00 की अधिक वापसी की गयी।

(2) सर्वश्री शरीफ कन्सट्रक्शन टिन 05004552623

करनिर्धारण वर्ष 2013–14 के वाद को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7(2) के **अन्तर्गत** कुल भुगतान ₹13,22,416.00 पर दो प्रतिशत की दर से ₹26448.00 कर निर्धारित किया गया तथा ₹ 39120.00 की वापसी की गयी।

प्रारुप–8 संख्या U-K-VAT/2007/035693 में की गयी टी0डी0एस0 की कटौती के अनुसार वर्ष 2012–13 में 4 प्रतिशत की दर से शेष पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान की धनराशि निम्नवत निर्धारित की जानी थी;–

(1) 3197X100÷2=159850X4%=6394.00

(2) 5854X100÷2=292700X2%=5854

(3) 6000X100÷6=100000X2%=2000.00

(4) 6000X100÷6=100000X2%=2000.00

(5) 6000X100÷6=100000X2%=2000.00

(6) 5958X100÷6=99300X2%=1986.00

(7) 2166X100÷2=108300X2%=2166.00

(8) 16878X100÷6=281300X2%=5626.00

(9) 11203X100÷6=186716X4%=7469.00

(10) 332X100÷2=16600X2%=332.00

(11) 1980X100÷2=99000X2%=1980.00

समाधान राशि जो होनी थी (योग)= 37807

समाधान राशि जो ली गयी= ₹ 26448/-

कम निर्धारित की गयी समाधान राशि = ₹11359/-

3. सर्वश्री गणेश उपाध्याय कॉन्ट्रैक्टर टिन 05004436708 कर निर्धारण वर्ष 2013–14 की पत्रावली की जॉच में पाया गया कि **कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल भुगतान 7283404 पर 2% की दर से समाधान राशि 145668 निर्धारित की गयी थी जबकि** प्रपत्र सं0–8 U-K/VAT/130458 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि संविदा वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित है। इस पर 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि निम्नवत निर्धारित होनी थी

(1) 17214X100÷6=286900X4%=11476.00

(2) 924X100÷4=23100X4%=924.00

(3) 6348X100÷6=105800X4%=4232.00

इस प्रकार संविदा वर्ष 2012–13 की भुगतान राशि ₹415800 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹16632(415800X4%) तथा शेष भुगतान पर ₹1,37,352(6867604X2) अर्थात कुल समाधान राशि ₹153984 (137352+16632) निर्धारित होनी थी जबकि मात्र ₹145668.00 निर्धारित की गयी।

इस प्रकार ₹8316(153984–145668) कम समाधान राशि आरोपित किया गया।

इस प्रकार तीनो वापसी वादों में ₹25649(5974+11359+8316)कम समाधान राशि निर्धारित किये जाने के **परिणामस्वरूप** अधिक वापसी ₹25649 से इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा **बिन्दु** 1,2 तथा 3 के सम्बन्ध में जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अत; अधिक वापसी/अनारोपित कर ₹25649 का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में **लाया जता** है।

भाग -2(ब)

प्रस्तर- 06 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.17लाख।

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए संविदाकारों के लिए समाधान योजन लागू की गयी, जिसके अनुसार संविदा अवधि वर्ष 2012-13 के लिये 4 % की दर से समाधान राशि निर्धारित की गयी है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि) राज्य कर, किच्छा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सर्व श्री गौरी इंटर प्राइजेज़, किच्छा टिन सं0 05008748261 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में संविदी विभाग से प्राप्त कुल भुगतान ` 26,60,053 + ₹4,445 = 26,64,498 घोषित किया है जिस पर संविदी विभाग द्वारा ` ₹57,151 का टी डी एस काटा गया है ।जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 7 (2) के अंतर्गत कुल धनराशि ₹26,64,498 समाधान राशि का निर्धारण 1 प्रतिशत की दर से किया गया है। वर्ष 2012-13 के अनुबंध से प्राप्त धनराशि के लिए 4 प्रतिशत एवं 2013-14 के अनुबंध से प्राप्त धनराशि के लिए 2 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि की गणना होना चाहिए। अतः अंतरीय धनराशि पर समाधान का की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित होगा।

अनुबंध वर्ष	**धनराशि**	**दर (% मे)**	**समाधान राशि**
2012-13	10,39,683	4	41,587
2013-14	16,20,370	2	32,407
2013-14	4,445	2	89
		योग	**74,083**

कर निर्धारण आदेश के अनुसार समाधान राशि ₹ 26,645 निर्धारित किया गया एवं संविदाकार को ` 30,550 की धनराशि वापसी हेतु आदेश किया गया । जबकि समाधान राशि ₹ 74,083 होना चाहिए। टीडीएस जमा धनराशि ₹ 57,151 को कम करने के उपरांत संविदाकर पर ₹ 16,932 (74,083 - 57,151) के कर मांग सृजित होती है।

उक्त के अतिरिक्त प्राप्त भुगतान ₹ 4,445 के संबंध मे संविदी विभाग द्वारा फार्म-8 उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग ने जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा, की टिप्पणी की गयी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

..... व्यय की लेखापरीक्षा .....

भाग–2 (ब)

प्रस्तर –07 आहरण एवं वितरण कार्यालय में निर्माण कार्य सम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव नही किया जाना।

सहायक आयुक्त (क0नि0)राज्यकर विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी, किच्छा, उधमसिंहनगर के कार्यालय अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 संख्या–890/xxvii(8)/वाणि0कर/2006 देहरादून दिनॉक 01 दिसम्बर, 2006 के द्वारा जॉच चौकी की स्थापना हेतु मौजा सुतईया परगना किच्छा जिला उधमसिंहनगर में 2.004 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करने की सूचना जारी की गयी थी।

ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0)वाणिज्य कर, कुमॉउ जोन, रुद्रपुर मुख्यालय काशीपुर के पत्र सं013/05–06/ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0/प्र0)वाणि0क0कु0जो0रु0 काशीपुर दिनाक 17 अप्रैल 2006 के अनुसार ₹53,82,000.00 विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जमा की गयी थी। दिनॉक 05.02.2007 को इस भूमि पर कब्जा भी ले लिया गया था।

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनॉक 24 मार्च 2014 के अनुसार मा0न्यायालय में वैल्यूएशन आफ अपील की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने हेतु ₹ 23,94,114.00 अवमुक्त करने की स्वीकृत प्रदान की गयी।

उपरोक्त भूमि व इस पर किये गये भवन निर्माण सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण/**अभिलेख** लेखापरीक्षा **द्वारा मांगे गये ।**

1. निमार्ण कार्य पत्रावली यदि बनायी गयी तथा उपलब्ध है, यदि नही बनायी गयी तो कारण लिखें।
2. भूमि अर्जन की कुल भुगतान की गयी धनराशि रुपये में अंकित करें साथ ही भुगतान के साक्ष्य संलग्न करें।
3. निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आदेश मूल प्रति प्रस्तुत करें।
4. निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति मूल प्रति प्रस्तुत करें।
5. निर्माण कार्य के लिये अबतक किये गये भुगतानों का अद्यतन विवरण।
6. अब तक निर्माण कार्य में भुगतान की गयी कुल धनराशि रु.में

7. निर्माण कार्यदायी संस्था के साथ विभाग द्वारा किया गया समझौता ज्ञापन ।

8. क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये कोई निरीक्षण समिति बनायी गयी थी, यदि हॉ तो साक्ष्य संलग्न करें।

9. क्या समिति द्वारा निरीक्षण सम्बन्धी कोई रिर्पोट दी गयी यदि हॉ, तो प्रस्तुत करें।

10. क्या भवन का हस्तांतरण विभाग को कर दिया गया? तो हस्तांतरण पत्र प्रस्तुत करें।

11. न्यायालय में भूमि विवाद पर विभाग द्वारा अद्यतन व्यय की गयी घनराशि का विवरण।

12. उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा मॉगे गये अन्य अपेक्षित विवरण।

उपरोक्त लेखापरीक्षा ज्ञाप पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि "मूलभूत रुप से संयुक्त जॉच चौकी के कार्यालय के रुप में निर्माण हुआ था। जिसका भुगतान आहरण एवं वितरण कार्यालय द्वारा नही किया गया। अत; सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नही है।"

सम्प्रेक्षा को विभाग का उत्तर इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि उक्त भूमि सम्बन्धी मा0उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहे वाद के लिये कोर्ट फीस ₹1089153.00 आहरण एवं वितरण अधिकारी किच्छा के पत्रांक–1133/असि0कमि0वा0क0/कि0/2013–14 दिनॉक 18.11.2013 द्वारा जमा कराया गया था।

अत; प्रकरण उच्च-अधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता** है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर– 08 स्वत;कर निर्धारण वादों को अनियमित मान्यता प्रदान किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25–क के अनुसार **वाद** स्वत कर निर्धारण योग्य नहीं माने जायेंगें यदि –

1.विवरणी/वार्षिक विवरणी नही दाखिल की गयी।

2.सकल टर्नओवर एक से अधिक है।

3.रियायत का दावा करे किन्तु उसके समर्थन मे घोषणा पत्र/प्रमाण नही ।

4.अपील रिट याचिका दाखिल की गयी है।

5.आयरन स्टील खाद तेल की बिक्री के लिये पंजीकृत है, आदि

कार्यालय सहायक आयुक्त /राज्यकर विभाग किच्छा के माह 04/2015 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित ब्यौहारियों के स्वत; कर निर्धारण वादों को स्वीकार किया गया।

(क) सर्वश्री सलूजा स्टील कर निर्धारण वर्ष 2013-14 आयरन एवं स्टील की बिक्री के लिये पंजीकृत है, तथा आयरन स्टील का संगत वर्ष में कारोबार किया है। किन्तु इसके वाद को विभाग द्वारा स्वत; कर निर्धारण योग्य माना गया।

(ख) सर्वश्री चावला वैटरी कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में रु.4,22,423.00 का आई0टी0सी0 क्लेम किया गया, किन्तु रियायत,करमुक्ति के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं संलग्न किये गये।

(ग) सर्वश्री हरनाम मोटर पाटर्स कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में रु.228706.00 का आई0टी0सी0 क्लेम किया गया, किन्तु रियायत,करमुक्ति के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं संलग्न किये गये।

(घ) सर्वश्री किसान खाद भण्डार कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में रु.129429.00 का आई0टी0सी0 क्लेम किया गया, किन्तु रियायत, करमुक्ति के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं संलग्न किये गये।

(ड) सर्वश्री अमीर टायर हाउस कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में आई0टी0सी0 क्लेम किया गया, किन्तु रियायत, करमुक्ति के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं संलग्न किये गये।

उपरिलिखित प्रावधान के आलोक में उल्लिखित वाद स्वत; कर निर्धारण में मान्यता प्रदान करने योग्य नही थे। जिन्हें विभाग ने नियमों की अनदेखी कर स्वत; कर निर्धारण की मान्यता प्रदान किया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अत; स्वत; कर निर्धारण वादो को अनियमित मान्यता दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में **लाया जाता** है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
46/2004-05	01	-	
50/2005-06	01	02	
17/2006-07	-	02	
29/2008-09	01,02,03	01,02	
11/2009-10	01,02	-	
56/2011-12	01	01	
40/2013-14	-	01,02,03	01,02
39/2014-15	01	02,03,04,05,06,07	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: **शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री विनय कुमार पाण्डेय	सहा.आयुक्त
2	श्री अनिल कुमार सिन्हा	सहा. आयुक्त
3	श्री अजय बिरथरे	सहा.आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र